# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

**नवम् सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 87**

**वीरवार, 27 अगस्त, 2015/5 भाद्रपद, 1937(शक्)**

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**

**समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

## मंत्री का परिचय

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने मंत्री परिषद् में नए मंत्री श्री कर्ण सिंह का परिचय करवाया।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2082, 2108 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2350 से 2354 तक के उत्तरों पर प्रश्न पूछे गए व सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2355 से 2387 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 906, 917 व 940 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 से 1032 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

## 2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री**, ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (पर्यावरण), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-5/2010 18-03-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17-04-2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, पर्यावरण अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-7/2010 06-07-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17-07-2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री**, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री**, ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःजेई-बी-बी(2)-2/2002 दिनांक 16-04-2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20-03-2015 को प्रकाशितः

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले उप निदेशक, अनुसूचित जाति उप योजना, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रान्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः डब्ल्यूएलएफ-बी(2)-1/2002-वैल-॥ दिनांक 23-03-2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21-03-2015 को प्रकाशित; और

(iii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

## 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन ः

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **113वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 84वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोकता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **257वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 274वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **287वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेतर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **44वां मूल प्रदेवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः4.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** ने समिति के **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (वाहरवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग** से सम्बन्धित आश्वासन के कार्यान्वयन पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

## 4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

**श्रीमती सरवीन चौधरी ने कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

12.08.00 PM

**श्री महेश्वर सिंह, सदस्य** ने ज़िला कुल्लू में कृषि उत्पाद पर A.P.M.C. द्वारा ली जा रही मार्किट कमेटी फीस के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख किया।

माननीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने उत्तर दिया।

12-13-00 PM

## 5. विधायी कार्य ः

### सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

**श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

## 6. गैर-सरकारी सदस्य कार्यः

### "संकल्प"

पिछले सत्र में दिनांक 09-04-2015 को सदन में श्री इन्द्र सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत संकल्प पर उन्होंने चर्चा की :-

> "यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढ़ांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1) श्रीमती आशा कुमारी
2) श्री ईश्वर दास धीमान
3) श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष

**(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)**

**(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)**

4) श्री महेश्वर सिंह
5) श्री हंस राज
6) श्री विजय अग्निहोत्री
7) श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
8) श्री जय राम ठाकुर
9) श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिव

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

**पहला संकल्प :**

डॉ0 राजीव बिन्दल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया व चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं के अन्तर्गत दी जाने वाली योजनाओं की डी0पी0आर0 शीघ्र बनाकर योजनाओं को निश्चित् समयावधि के भीतर पूर्ण करवाने के लिए प्रावधान करें।"

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1) श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव
2) श्रीमती सरवीन चौधरी
3) श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
4) श्री जय राम ठाकुर

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

**दूसरा संकल्प :**

**श्री महेन्द्र सिंह ने** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केन्द्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस ले।"

(**सदन की बैठक अपराह्न 04.55 बजे शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई** )